

अनुसूची 21-फारम सं0-113

संपत्ति आवेदन प्रमाण-पत्र
Sanyay Kumar Sinha & Melex & Maanur

प्रमाण-पत्र संख्या

20

आवेदन सं0

157/2018

चौक की

Sanyay Kumar Sinha & others

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नोक्त संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि खत संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही में और इससे सम्बद्ध अनुक्रमिकाओं में सन् 20 1988 से सन् to till date तक सलासी की गयी और ऐसी सलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला

चला है अतः

Sanyay Kumar Sinha & others

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza		Orisachan					
	P.S.		Gandemike					
	Town No		5140					
	Khatu No		93, 54					
	Plot No		1797, 1798					
	Thana No		16					
	ward No		06					
	Circle No		265					
	HR No		190 @ 172					

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधन-पत्र की दिशा व्याज की ओर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। शर्तों की उनमें बारी में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:



मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-87 के अधीन जो व्यक्ति (बाइयो) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियों देखना चाहते हैं अथवा नकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रख दी जायेगी।

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी शूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दूँ गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँ गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की धूँ के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक

जाप संख्या

दिनांक

आवेदक श्री

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या

दिनांक

के संलग्न में अप्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

पालना

अनुसूची 21-फारम सं0-113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं0 20

ईक श्री Sarnjeet Kumar & others

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नोक्त संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि खेत संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में 20 1988 से till date तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है अतः

Sarnjeet Kumar

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रामाणिकता के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza ———		Dheerachak					
	P.S. ———		Sodambagh					
	Khata No ———		100					
	Plot No ———		1795					
	Thana No ———		16					
	Circle No ———		265					
	Ward No ———		37					
	Hol. No ———		307/155					

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

यै यह प्रमाणित करता है कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:

Palma

9/7/18



अवर एवं निबंधन प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमाभिमो (इन्वेन्स) की प्रवृत्तियों देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमाभिमो उनके पास सामने रख दी जायेगी।

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी शूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दूँठे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँठे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक

ज्ञाप संख्या

आवेदक श्री

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा

Sangeet Kumar

Manager, SBI Palma

दिनांक

9/7/18

का उनके पत्र संख्या

दिनांक

के प्रसंग में अप्रसारित की जाती है।

अवर एवं निबंधन प्रदाधिकारी
9/7/18
Palma